समाचार–प्रकाशनार्थ :–

गंदगी करने पर पद्मश्री बार पर 20 हजार का जुर्माना

रतलाम 2 अप्रैल । सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सज्जनमिल रोड स्थित पद्मश्री बार के सामने कचरा, गंदगी व अमानक पॉलीथीन पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन टीम द्वारा बार को सील किया गया बार संचालक द्वारा जुर्माने की राशि रूपये 20 हजार जमा कराने पर खोला जाकर भविष्य में कचरा एवं गंदगी ना करने के निर्देश दिये गये अन्यथा बार का लायसेंस निरस्त करने हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित किय जायेगा।

पद्मश्री बार संचालक को पूर्व में भी कचरा एवं गंदगी ना करने की समझाईश दी गई थी किन्तु संचालक द्वारा इसकी पुनरावृत्ति निरंतर किये जाने पर बार को सील करने व जुर्माना करने की कार्यवाही की गई।

सुरेश कूलर के 3 ट्रेक्टर ट्रॉली भरकर कूलर जब्त

फुटपाथ का किया जा रहा था व्यावसायिक उपयोग

रतलाम 2 अप्रैल । राम मंदिर के सामने सुरेश कूलर द्वारा नवनिर्मित फुटपाथ पर कूलर रखकर फुटपाथ का व्यावसायिक उपयोग करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्यवाही करते हुए 3 ट्रेक्टर ट्रॉली भरकर कूलर व अन्य सामग्री जब्त की गई। दुकानदार द्वारा 200 स्क्वेयर फीट से अधिक के फुटपाथ पर कूलर व अन्य सामग्री रखकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

नगर निगम द्वारा दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपना व्यवसाय अपनी दुकानों व प्रतिष्ठनों में ही संचालित करना सुनिश्चित करें सामान को सड़को व फ़ुटपाथ पर रखकर अतिक्रमण ना करें अन्यथा की दशा में नगर निगम द्वारा सामान को जब्त किया जाकर बड़ी राशि का जुर्माना कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। सड़के व फुटपाथ नागरिकों के आवागन के लिये होती ह ना कि अतिक्रमण व व्यावसायिक उपयोग के लिये।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 02.04.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.